

न्यायालय उप तहसीलदार सिंधाना जिला झुन्झुनुं (राज0)
मुकदमा किरम मुकदमा रज्जु दिनांक निर्णय दिनांक
138/2019 धारा 91 एल.आर.एक्ट 05.12.2019 23.12.2019

उनवान सरकार बनाम धर्मपाल पुत्र नानग जाति जाट निवासी घरडाना खुर्द तहसील
बुहाना जिला झुन्झुनुं (राज0)

—: निर्णय :-

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिक्रमी अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है। पटवारी हल्का घरडाना खुर्द ने सम्वत 2076 में इस आशय
की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि ग्राम घरडाना खुर्द की भूमि ख0 न0 539 कुल रकबा 1.1900 है0
है0 किरम गै0 मु0 रास्ता मे से 400 वर्ग मीटर भूमि पर अतिक्रमी धर्मपाल पुत्र नानग जाति
जाट निवासी घरडाना खुर्द ने अवैध रूप से बाड़ बन्दी कर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण
किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी
को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर
तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अतिक्रमी उपस्थित रहा।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/सबुत का गहनता से मनन किया गया। अतिक्रमी द्वारा
किया गया अतिक्रमण जो काबिल नियमन नहीं है। ना ही नियमों के अनुरूप है। अतिक्रमी
द्वारा राजकीय भूमि में बाड़ बन्दी कर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमण किये जाने के
फलस्वरूप अतिक्रमी घोषित किया जाता है व जैर बहस रिपोर्ट पटवारी पर से बेदखल किये
जाने के आदेश दिये जाते हैं।

अतिक्रमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये अवैध बाड़ बन्दी कर अतिक्रमण किये
जाने के दण्ड स्वरूप शरह लगान/— का अतिक्रमण शुदा भूमि के ख0 न0 539 लगान .
..... की 50 गुणा जुर्माना राशि/— बतौर शास्ति कायम किये जाते हैं।

तहसील राजस्व लेखाकार/भू0 अ0 निरीक्षक/पटवारी हल्का को चारसे जगा
कायमी/बेदखली/वसूली हेतु लिखा जावे। भू0 अ0 निरीक्षक को गै0मु0 रास्ते की भूमि से
अतिक्रमीत भूमि से वास्तविक रूप से बेदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील
तामील दाखिल दपतर हो तथा नम्बर शुमार से कम होकर दर्ज फौसला हो।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप तहसीलदार सिंधाना